राजस्व आवेदन संख्या 61/2025
श्रीमति इन्द्रा बनाम आदाराम वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 61/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/98

प्रार्थीनी बनाम विप्रार्थीगण

श्रीमति इन्द्रा पत्नी रामाराम
जाति जाट
निवासी बलाऊ जाटी
तहसील कल्याणपुर व जिला
बालोतरा

1.आदाराम पुत्र लिखमाराम
2.चेतनराम पुत्र गोरखाराम
3.वीरमाराम पुत्र लिखमाराम
4.हडमानराम पुत्र गोरखाराम
5.उदाराम पुत्र भीयाराम
6.कमला पत्नी थानाराम
7.थानाराम पुत्र उदाराम
8.भंवरी पत्नी राणाराम
9.राणाराम पुत्र उदाराम
10.किशनाराम पुत्र भीयाराम
11.जेठाराम पुत्र भीयाराम
12.पुनी पत्नी मोटाराम
13.प्रेमाराम पुत्र मोटाराम
14चन्दणी पत्नी भियाराम
15.नारणाराम पुत्र चुनाराम
16.बागाराम पुत्र चुनाराम
17.भोमाराम पुत्र चुनाराम
18.सुरजाराम पुत्र चुनाराम
जाति जाट निवासी बलाउ जाटी
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
19.सरपंच ग्राम पंचायत बलाउ जाटी
20.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, कल्याणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

राजस्व आवेदन संख्या 61/2025
श्रीमति इन्द्रा बनाम आदाराम वगैरा

दिनांक 30/5/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम बलाउ जाटी पटवार हल्का बलाउ जाटी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 396/302 क्षेत्रफल 4.8967 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा ग्राम बलाउ जाटी पटवार हल्का बलाउ जाटी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 396/302 क्षेत्रफल 4.8967 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम बलाउ जाटी पटवार हल्का बलाउ जाटी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 396/302 क्षेत्रफल 4.8967 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋंतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम बलाउ जाटी पटवार हल्का बलाउ जाटी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 396/302 क्षेत्रफल 4.8967 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बलाउ जाटी पटवार हल्का बलाउ जाटी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 396/302 क्षेत्रफल 4.8967 हैक्टयर भूमि प्रार्थीनी की आवगी खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकी प्रार्थीनी प्रथम द्रष्यता हकदार प्रतीत होती है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी** समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.2.2025 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें की हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बलाउ जाटी पटवार हल्का बलाउ जाटी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 396/302 क्षेत्रफल 4.8967 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 30/06/25
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30/06/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

30/06/25
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा